न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा उन्नाव।

UPUN120010802017

विविध वाद सं0–157/2017

अपराध सं0–94/2017

धारा– 363 भा0दं0सं0

थाना– बिहार, उन्नाव।

दिनांक–20.07.2026

सचिन चौरसिया बनाम अज्ञात

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या सं0–05/2017 प्रेषित की गयी है। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद को समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतः वादी मुकदमा/आवेदक के प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों एवं उसके सशपथ पत्र के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा को इस मामले में प्रस्तुत अन्तिम आख्या पर कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत करनी है। उक्त सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका अन्तर्गत धारा 482 दं0प्र0सं0 नं0 2520/2012 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांकित 09.10.2013 तथा माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0 2981/एफटीसी सेल/इलाहाबाद दिनांकित 01.03.2013** में दिये गये दिशा निर्देशों के दृष्टिगत एवं उपरोक्त विवेचित एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा केस डायरी के सम्यक अवलोकन के उपरान्त इस प्रकरण में प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रर्कीण वाद सं0–157/2017 मुकदमा अपराध सं0–94/2017 अन्तर्गत धारा 363 भा0दं0सं0, थाना बिहार, जिला उन्नाव में मामले के विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं0 05/2017 स्वीकार की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट

पुरवा, उन्नाव